प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1156/2007

याचिकाकर्ता - प्रीतम डोंगरे

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

....

उपस्थितः

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से श्री विवेक शर्मा, अधिवक्ता ।

उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3/राज्य की ओर से श्री विनय पांडे, पैनल अधिवक्ता।

....

आदेश

(दिनांक 28.02.2007 को पारित)

(1) इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने उत्तरवादीगण को यह निर्देश देने हेतु के परमादेश रिट की मांग की है कि वे याचिकाकर्ता के मामले पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार करें। याचिकाकर्ता ने साथ ही दिनांक 02.02.2006 की नीति/परिपत्र को अभिखण्डित करने हेतु उत्प्रेषण की रिट जारी करने का भी निवेदन किया है।

(2) याचिकाकर्ता के पिता, जो सहकारी समितियाँ (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के कार्यालय में सहकारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे, का दिनांक 07.11.1995 को सेवा के दौरान ही निधन हो गया।

(3) ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2000 के बाद, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आवेदन प्रस्तुत किया। तथापि, आवेदन की कोई विशिष्ट तिथि न तो याचिका में और न ही तर्कों में उल्लिखित की गई है।

(4) अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 21.01.2004 को सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ (लेखा परीक्षा) द्वारा जारी आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, रायपुर द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 10.06.2003 के अनुसार उसे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती। इसके पश्चात, याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.01.2006 को पुनः आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 03.04.2006 के आदेश द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि दिनांक 02.02.2006 के नवीन परिपत्र के अनुसार केवल उन मृतक कर्मचारियों के आश्रितों/विधिक वारिसों के मामलों पर विचार किया जा सकता है जिनकी मृत्यु 01.11.1997 के पश्चात हुई हो। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के पिता का निधन दिनांक 07.11.1995 को हुआ था, अतः उसका दावा अस्वीकार कर दिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(5) याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की है कि दिनांक 02.02.2006 की नीति/परिपत्र अयुक्तियुक्तपूर्ण, भेदभावपूर्ण तथा भारत के संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। उसका मामला रिट याचिका क्रमांक 304/2006 में पारित आदेश दिनांक 20.01.2006 से अनुसार बताया गया है। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि राज्य शासन की उक्त नीति को क्यों निरस्त किया जाना चाहिए। सामान्यतः उच्च न्यायालय राज्य की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करता, जब तक कि वे असंवैधानिक, मनमानी या अविवेकपूर्ण न हों। राज्य शासन ने दिनांक 02.02.2006 की नीति तथा दिनांक 10.06.2003 के परिपत्र के आधार पर अनेक नियुक्तियाँ प्रदान की हैं। दिनांक 10.06.2003 की नीति इस न्यायालय के समक्ष कई याचिकाओं में विचाराधीन रही है और इस न्यायालय ने मामलों पर दिनांक 02.02.2006 की नीति के अनुसार

विचार करने के निर्देश दिए हैं। अतः नीति को निरस्त करने संबंधी प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। जहाँ तक याचिकाकर्ता के मामले पर पुरानी नीति दिनांक 10.06.2003 के आधार पर विचार करने की प्रार्थना है, वह भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने दिनांक 10.06.1994 की नीति जारी की थी तथा वर्तमान राज्य सरकार ने दिनांक 01.05.2000 को नई नीति जारी की है।

(6) अतः, ऐसी पुरानी नीति के आधार पर याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, जिसे बाद की नीति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

(7) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **लोक निर्देश आयुक्त और अन्य बनाम के.आर. विश्वनाथ**[1] के मामले में, अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य के प्रश्न पर विचार करते हुए निम्न प्रकार अवधारित किया है—

> "9. जैसा कि **'हरियाणा राज्य बनाम रानी देवी'** मामले में कहा गया था, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए संबंधित व्यक्ति का दावा इस आधार पर होता है कि वह मृत कर्मचारी पर आश्रित था। कड़ाई से देखा जाए तो, संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 की कसौटी पर इस दावे को यथावत नहीं रखा जा सकता है। हालांकि, ऐसे दावे को उस कर्मचारी के परिवार में अचानक उत्पन्न हुए संकट के आधार पर उचित और स्वीकार्य माना जाता है, जिसने राज्य की सेवा की है और सेवा के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई है। यही कारण है कि अधिकारियों के लिए ऐसे नियम, विनियम बनाना या ऐसे प्रशासनिक आदेश जारी करना आवश्यक है जो अनुच्छेद 14 और 16 की परीक्षा में खरे उतर सकें। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। 'सेवाकाल के दौरान मृत्यु' योजना को मृत कर्मचारी द्वारा दी गई सेवा की प्रकृति पर विचार किए बिना सभी प्रकार के पदों पर लागू नहीं किया जा सकता है। रानी देवी

1 (2005) 7 SCC 206

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मामले में यह व्यवस्था दी गई थी कि यदि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना को सभी प्रकार के आकस्मिक या तदर्थ कर्मचारियों, जिनमें प्रशिक्षु के रूप में काम करने वाले भी शामिल हैं, तक विस्तारित किया जाता है, तो इसे संवैधानिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। **'एलआईसी ऑफ इंडिया बनाम आशा रामचंद्र आंबेकर'** के मामले में यह स्पष्ट किया गया था कि उच्च न्यायालय और प्रशासनिक न्यायाधिकरण सहानुभूतिपूर्ण विचारों से प्रेरित होकर तब तक अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का आदेश नहीं दे सकते, जब तक कि इस संबंध में बनाए गए नियम ऐसी नियुक्तियों का प्रावधान न करते हों। **'उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य'** में यह उल्लेख किया गया था कि नियम के रूप में सार्वजनिक सेवा में नियुक्तियां कड़ाई से आवेदनों के खुले भर्ती और प्रवीण्यता के आधार पर की जानी चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का कोई अन्य स्रोत नहीं है, बल्कि यह उपरोक्त आवश्यकता का केवल एक अपवाद है, जिसमें सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु के तथ्य को ध्यान में रखा जाता है, जिसके कारण उसका परिवार आजीविका के किसी भी साधन के बिना रह गया है। ऐसे मामलों में उद्देश्य परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबारने में सक्षम बनाना है। लेकिन अनुकंपा के आधार पर ऐसी नियुक्तियां मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमों, विनियमों या प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार ही की जानी चाहिए।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"10. **'सुषमा गोसाईं बनाम भारत संघ'** के मामले में यह कहा गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के सभी दावों में, नियुक्ति में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का उद्देश्य परिवार के कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु के कारण होने वाली कठिनाई को कम करना है। इसलिए, संकटग्रस्त परिवार को अनुतोष देने के लिए ऐसी नियुक्तियाँ तत्काल प्रदान की जानी चाहिए। यह तथ्य कि पिता की मृत्यु के समय पाल्य नाबालिग था, इस बात का कोई आधार नहीं है कि जब भी ऐसा नाबालिग

बालिग हो जाए, तो उसे बिना किसी समय-चेतना या सीमा के नियुक्त किया जा सकता है, जब तक कि स्वयं योजना में विशेष रूप से इसके विपरीत प्रावधान न हो। उपरोक्त विचार को **'फूलवती बनाम भारत संघ'** और **'भारत संघ बनाम भगवान सिंह'** के मामलों में दोहराया गया था। **'शिक्षा संचालक (माध्यमिक) बनाम पुष्पेंद्र कुमार'** के मामले में यह व्यवस्था दी गई थी कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में किसी विशेष पद के लिए आग्रह नहीं किया जा सकता है। विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता, तब तक परिवार जीवन यापन करने में सक्षम नहीं होगा, मृतक के उन आश्रितों में से किसी एक को नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है जो नियुक्ति के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान, जो कि सामान्य प्रावधानों के अपवाद के रूप में है, उन अन्य व्यक्तियों के अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप न करे जो नियुक्ति के लिए पात्र हैं और उस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो पद मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त न किए जाने की स्थिति में उपलब्ध होता। चूँकि यह सामान्य प्रावधानों के अपवाद के स्वरूप में है, इसलिए यह उस प्रावधान का स्थान नहीं ले सकता जिसका यह अपवाद है, और न ही यह मुख्य प्रावधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को पूरी तरह से छीनकर मुख्य प्रावधान को निष्प्रभावी कर सकता है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. यह सुस्थापित है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती की कोई पद्धति नहीं है, बल्कि यह संकटग्रस्त परिवार को बेसहारा होने से बचाने और मृतक कर्मचारी के आश्रितों के तत्काल पुनर्वास की एक सुविधा है। दूसरे शब्दों में, अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य विपन्न परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबारना है, न कि रोजगार प्रदान करना। यह भी स्पष्ट रूप से स्थापित है कि केवल कर्मचारी की मृत्यु होने मात्र से उसका परिवार अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने का हकदार नहीं हो जाता, यदि परिवार

के सदस्य आय के अन्य स्रोतों से आर्थिक रूप से अपना भरण-पोषण करने में सक्षम हैं।

9. उच्चतम न्यायालय ने **'जम्मू-कश्मीर राज्य एवं अन्य बनाम सज्जाद अहमद मीर**[2] मामले में अनुकंपा नियुक्ति के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

> "11. ...ऐसी नियुक्ति सामान्य नियम का एक अपवाद है। सामान्यतः, सरकार या अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार उन सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए खुला होना चाहिए जो आवेदन करने और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे आते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां प्रतिस्पर्धी प्रवीण्यता के आधार पर की जानी चाहिए। इस सामान्य नियम से तब तक विचलन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि परिस्थितियाँ इसकी मांग न करें, जैसे कि एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु और उसके कारण परिवार को होने वाले नुकसान की संभावना। एक बार जब यह सिद्ध हो जाता है कि कमाने वाले की मृत्यु के बावजूद परिवार जीवित रहा और एक लंबी अवधि बीत चुकी है, तो नियुक्ति के सामान्य नियम को त्यागने और संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिदेश की अनदेखी करते हुए कई अन्य लोगों के हितों की कीमत पर किसी एक पर कृपा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधि के सुस्थापित सिद्धांत को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि अनुकंपा नियुक्ति, जो रोजगार की संवैधानिक योजना के अनुरूप नहीं है, कर्मचारी की असामयिक मृत्यु के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए है। वर्तमान मामले में, कर्मचारी (जिसके आधार पर दावा किया गया है) की मृत्यु 07-11-1995 को हुई थी, और याचिकाकर्ता ने वयस्कता की आयु प्राप्त करने के तुरंत बाद भी कोई

2 (2006) 5 SCC 766

कदम नहीं उठाया। अतः, याचिकाकर्ता को कोई अनुतोष प्रदान नहीं की जा सकती।

11. परिणामस्वरूप, उपरोक्त कारणों से यह रिट याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**